

राजस्थान सरकार

कार्यालय महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र.....

पता:.....

फोन न०..... ई-मेल.....

लॉकडाऊन अवधि हेतु परिवहन पास

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स.....

.....इस कार्यालय/भारत सरकार में

पंजीकृत है। इकाई द्वारा उत्पाद का
निर्माण किया जा रहा है, जो लॉकडाऊन अवधि के दौरान अत्यावश्यक वस्तुओं/सेवाओं की
श्रेणी में आती है। अति आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन/सेवाओं की श्रेणी में आने के कारण
इस इकाई द्वारा आवेदित वाहन संख्या..... को दिनांक से
..... तक में परिवहन की अनुमति दी जाती है।

दिनांक:

वास्ते

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

**आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति कार्यरत उद्योगों को परिवहन
पास जरी करने हेतु आवेदन पत्र**

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र, क्षेत्रिय प्रबन्धक, रीको लि०

.....,

विषय:— वाहन पंजीयन क्रमांक: के सम्बन्ध में परिवहन पास
अनुमति बाबत।

महोदय,

राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) से राज्य में लॉकडाऊन अवधि के दौरान अत्यावश्यक वस्तुओं के परिवहन कारणों से मुझे उपरोक्त पंजीकृत वाहन की अनुमति प्रदान करायी जावे।

1. आवेदक इकाई का नाम व पता:
2. परिवहन हेतु उत्पाद/वस्तु का नाम:
3. इकाई का जिला उद्योग केन्द्र/भारत सरकार में पंजीयन क्रमांक:
4. वाहन पंजीयन क्रमांक:
5. वाहन का प्रकार (निजी/व्यावसायिक)
6. परिवहन अवधि: दिनांक.....से दिनांक.....तक।
7. परिवहन विवरण कहां से कहां को.....
8. परिवहन का प्रायोजन.....
(साक्ष्य संलग्न करें)
9. इकाई का जी.एस.टी. संख्या

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम:.....

पता:.....

.....

मों० नं०.....

ई-मेल आई.डी.....

(आवेदन पर सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र के ई-मेल पर भेजें)

आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के निर्माण एवं आपूर्ति में कार्यरत उद्योगों में नियोजित श्रमिकों/कार्मिकों का पास जारी करने हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदनक का नाम:
2. पिता का नाम:
3. पता:
4. मोबाईल नं०:
5. आधार संख्या:
6. इकाई का नाम जिसमें कार्यरत हैं:
7. इकाई का पता:
8. इकाई का उत्पाद
9. इकाई में नियोजित पद:


प्रमाणित किया जाता है कि उक्त जानकारी व सूचना रिकार्ड अनुसार सत्य है।
संलग्न: दो पासपोर्ट साईज़ फोटों।

हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर नियोक्ता, इकाई)

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/क्षेत्रिय, वरिष्ठ क्षेत्रिय प्रबन्धक रीको

लॉकडाऊन अवधि हेतु पास



प्रमाणित किया जाता है कि श्री पिता का नाम श्री निवासी वर्तमान में मैसर्स..... में कार्यरत है। यह इकाई का निर्माण कार्य कर रही है। सेवा की आपूर्ति कर रही है यह उत्पादन/सेवा आवश्यक वस्तुओं के निर्माण एवं आपूर्ति की श्रेणी में आता है।

अतः श्री पिता का नाम को मैसर्स में कार्य करने हेतु यह पास जारी किया जाता है। इनका आधार संख्या है।

वास्ते

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता